


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नोरतमल बाबेल पुत्र बिरधीचन्द बाबेल मरुधर मार्केट मेवाड़ी गेट के अन्दर ब्यावर जिला अजमेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :- 11/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/13 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.02.22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 25.10.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2022/182 दिनांक 27.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को सूचना नहीं भिजवाई गई तथा अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न पोस्ट ऑफिस रसीद कार्यालय तहसीलदार रोहट के नाम न होकर कार्यालय तहसीलदार पचपदरा बाडमेर के नाम है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट के इस न्यायालय को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	